झारखण्ड अधिविद्य परिषद्, राँची
JHARKHAND ACADEMIC COUNCIL, RANCHI

मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना परीक्षा के तहत् वर्ष 2022, 2023, 2024 एवं 2025 की परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान करने के संबंध में।

विज्ञप्ति संख्या – 20/2026

स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखण्ड सरकार के संकल्प संख्या– 826 दिनांक– 14.03.2019 तथा 340 दिनांक– 21.02.2022 के आलोक में मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के तहत् परिषद् द्वारा परीक्षा आयोजित की गई थी। उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं/उनके अभिभावकों/संबंधित विद्यालय प्रधानों को सूचित किया जाता है कि छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु निम्नवत् प्रक्रिया के अनुसार आवेदन प्रपत्र भरा जा सकेगा :–

Date of Examination	Class	Scholarship
13.07.2022	XII	4th Renewal
13.08.2023	XI	3rd Renewal
30.06.2024	X	2nd Renewal
20.07.2025	IX	1st Fresh

- छात्रवृत्ति प्राप्ति हेतु आवेदन प्रपत्र परिषद् के **website- jac.jharkhand.gov.in** के Web Notice के Download Section में उपलब्ध है, जिसे डाउनलोड कर आवेदन प्रपत्र भरा जा सकेगा।
- आवेदक आवेदन प्रपत्र में अपनी विवरणी सही–सही अंकित करेंगे।
- कटे–फटे या अधुरे आवेदन प्रपत्र स्वीकार नहीं किए जायेंगे।
- **प्रथम बार (Fresh)** छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आवेदक को अपने आवेदन के साथ प्रवेश पत्र, आधार, बैंक पासबुक जमा करना अनिवार्य होगा।
- **द्वितीय (2nd Renewal)** छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आवेदक को अपने आवेदन के साथ प्रवेश पत्र, आधार, बैंक पासबुक, वर्ग IX का अंक पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
- **तृतीय (3rd Renewal)** छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आवेदक को अपने आवेदन के साथ प्रवेश पत्र, आधार, बैंक पासबुक, वर्ग X का अंक पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
- **चतुर्थ (4th Renewal)** छात्रवृत्ति प्राप्त करने के लिए आवेदक को अपने आवेदन के साथ प्रवेश पत्र, आधार, बैंक पासबुक वर्ग XI का अंक पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।
- जाति के आधार पर चयनित हुए लाभुकों को अपना झारखण्ड राज्य द्वारा निर्गत जाति प्रमाण–पत्र संलग्न करना आवश्यक होगा।
- वांछित प्रमाण–पत्रों के अभाव में छात्रवृत्ति भुगतान पर विचार नहीं किया जायेगा।
- आवेदक आवेदन प्रपत्र को भरने के पश्चात् अपने विद्यालय प्रधान के पास जमा करेंगे। विद्यालय प्रधान सही रूप से जाँच कर समेकित विवरणी के साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में जमा करेंगे। जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा अनुमोदन के पश्चात् आवेदन एवं समेकित सूची परिषद् कार्यालय को उपलब्ध करायेंगे।
- आगामी कक्षा की छात्रवृत्ति प्राप्त करने हेतु लाभुकों को 60% अंक से उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
- वैसे आवासीय विद्यालय, जहाँ रहने एवं खाने–पीने की व्यवस्था सरकार द्वारा की जाती है, के छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति की 50% राशि ही देय होगा। आकांक्षा में चयनित छात्र/छात्राओं की समेकित विवरणी अलग से बनाकर परिषद् कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय।
- आवेदन प्रपत्र दिनांक– 14.03.2026 से परिषद् के वेबसाईट पर उपलब्ध होगा।
- आवेदन प्रपत्र भरकर विद्यालय प्रधान के पास जमा करने की अंतिम तिथि 31.03.2026 तक निर्धारित है।
- विद्यालय प्रधान द्वारा भरे हुए आवेदन प्रपत्र जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय को हस्तगत कराने की अंतिम तिथि– 06.04.2026 तक निर्धारित है।
- जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा भरे हुए आवेदन प्रपत्र परिषद् कार्यालय को हस्तगत कराने की अंतिम तिथि– 11.04.2026 तक निर्धारित है।

अध्यक्ष के आदेश से,

JAC/Sch/CMMSS/1242/25-Secy/205/26
Dated – 11.03.2026

ह0/–
सचिव,
झारखण्ड अधिविद्य परिषद्,
राँची।